समाचार वाणी
ख़बर जो करें असर !

नाशिक | Wednesday, 26 August 2026

उत्तर प्रदेश मे जंाति आधारित रैलियों पर रोक, FIR मे जंाति का उल्लेख न करने के निर्देश

Sanket Morankar Published on 22 Sep 2025

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने **राज्य मे जंाति आधारित रैलियों पर रोक** लगाने और **एफआईआर (FIR) मे जंाति का उल्लेख न करने** का बड़ा फैसला लिया है। यह कदम न केवल प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा रहा है, बल्कि इसे सामाजिक संतुलन और कानून-व्यवस्था के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक में यह फैसला लिया।

- निर्देश दिया गया है कि **राज्य मे अंब कोई भी संगठन या राजनीतिक दल जाति विशेष के नाम पर रैली या सम्मेलन आयोजित नहीं कर सकेगा।**
- पुलिस और प्रशासन को सख्त हिदायत दी गई है कि ऐसी गतिविधियों को **तुरंत रोका जाए।**
- साथ ही, **एफआईआर दर्ज करते समय जाति का उल्लेख नहीं किया जाएगा,** ताकि किसी भी मामले को जातिगत रंग देने से बचा जा सके।

- हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में कई **जातिगत सम्मेलन और रैलियों** का आयोजन हुआ था, जिससे सामाजिक तनाव और राजनीतिक बयानबाजी बढ़ गई थी।
- सरकार का मानना है कि जाति आधारित गतिविधियां **सामाजिक विभाजन और विवाद** को बढ़ावा देती हैं।
- इस कदम से सरकार का संदेश साफ है कि वह "**सबका साथ, सबका विकास**" के मंत्र पर चलना चाहती है और जाति की राजनीति को हतोत्साहित करना चाहती है।

इस फैसले पर विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं।

- समाजवादी पार्टी और बसपा जैसे दलों ने इसे "**लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला**" करार दिया।
- उनका कहना है कि जाति आधारित सम्मेलन केवल **सामाजिक मुद्दों और अधिकारों की आवाज उठाने** का जरिया होते हैं।
- कांग्रेस ने भी इसे राजनीतिक रणनीति बताते हुए कहा कि योगी सरकार इस फैसले से **सामाजिक आंदोलनों को दबाना चाहती है।**

एक विपक्षी नेता ने कहा—
"**सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए जनता की आवाज को दबा रही है। जातिगत सम्मेलन हमेशा से सामाजिक न्याय की लड़ाई का हिस्सा रहे है।**"

दूसरी ओर, भाजपा और सरकार के समर्थक इस फैसले को **सकारात्मक और ऐतिहासिक कदम** बता रहे हैं।

- उनका कहना है कि इससे **जाति के नाम पर होने वाली राजनीति और समाज मे बढ़ते तनाव** पर रोक लगेगी।
- साथ ही, FIR से जाति का उल्लेख हटाने से **कानून-व्यवस्था पर पड़ने वाले दबाव** को भी कम किया जा सकेगा।

एक भाजपा नेता ने कहा—
"**यह फैसला उत्तर प्रदेश को जातिवाद की राजनीति से मुक्त करेगा। अब विकास की राजनीति ही आगे बढ़ेगी।**"

- पुलिस और जिला प्रशासन को इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइन भेज दी गई है।
- किसी भी तरह के **जातिगत सम्मेलन या रैली की अनुमति** नहीं दी जाएगी।
- सोशल मीडिया पर भी **जातिगत उकसावे वाले पोस्ट और प्रचार** पर नजर रखी जाएगी।

विशेषज्ञ मानते हैं कि इस फैसले का असर दूरगामी होगा।

- एक तरफ, इससे **जातिगत तनाव और विभाजन** को रोकने में मदद मिल सकती है।
- वहीं दूसरी तरफ, यह निर्णय उन संगठनों और समुदायों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जो लंबे समय से जातिगत पहचान के आधार पर अपने अधिकारों की मांग करते रहे हैं।
- यह देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में यह कदम **सकारात्मक बदलाव** लाता है या नए विवादों को जन्म देता है।

कुछ विधि विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के प्रतिबंध को लेकर **संवैधानिक सवाल** भी उठ सकते हैं।

- संविधान नागरिकों को **सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता** का अधिकार देता है।
- ऐसे में, जाति आधारित रैलियों पर पूरी तरह रोक लगाने को अदालत में चुनौती दी जा सकती है।
- हालांकि सरकार का तर्क है कि यह कदम **कानून-व्यवस्था बनाए रखने** और **समाज मे सामंजस्य** स्थापित करने के लिए उठाया गया है।

उत्तर प्रदेश सरकार का यह फैसला राज्य की राजनीति और समाज दोनों पर गहरा असर डाल सकता है।

- जाति आधारित रैलियों और FIR में जाति के उल्लेख पर रोक को जहां कुछ लोग **सकारात्मक और सुधारात्मक कदम** मानते हैं, वहीं कुछ इसे **अधिकारों पर अंकुश** बता रहे हैं।
- आने वाले समय में यह फैसला अदालत और जनता दोनों की कसौटी पर खरा उतरना होगा।

फिलहाल इतना तय है कि योगी सरकार ने इस कदम से यह संदेश दे दिया है कि वह **जातिवाद की राजनीति को खत्म करने** की दिशा में बड़े कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगी।

DISCLAIMER: the views/contents expressed/presented herein, within this advertorial and promotional feature are the sole and exclusive responsibility of individual clients/expert/their authorised representative/Sanket Morankar, to which effect, publication house/its representative/affiliates are not responsible/liable whatsover.